रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 1972/फाल्गुन 20, 1893

No. 139] **NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 1972/PHALGUNA 20, 1893**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 10th March 1972

S.O. **183(E)/15A/IDRA/72.**—Whereas the industrial undertaking known as Messrs. Mysore Electro-Chemical Works Ltd., having registered office at Yeshwantpur, Bangalore-22, is engaged in a Schedule Industry, namely, manufacture of lead acid storage batteries;

And whereas it had come to the notice of the Central Government that the aforesaid industrial undertaking was being wound up by or under the supervision of the High Court of Mysore and the business of the company was not being continued;

And whereas the Central Government was of the opinion that it is necessary, in the interest of the general public and, in particular, in the interests of production, supply and distribution of articles or class of articles relatable to the aforesaid Schedule Industry, to investigate into the possibility of running or re-starting the aforesaid industrial undertaking;

And whereas an application was made by the Central Government before the High Court of Mysore under sub-section (1) of Section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), praying for permission to make or cause to be made an investigation into the possibility of running or re-starting the aforesaid industrial undertaking, by such person or body of persons as the Central Government may appoint for the purpose;

And whereas the High Court of Mysore, by its order dated 3rd March, 1972, has granted permission to the Central Government under the said Section 15A to conduct an investigation as aforesaid:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, (65 of 1951), and in pursuance of the permission granted by the High Court of Mysore by its order dated 3rd March, 1972, as aforesaid, the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the industrial undertaking known as Messrs. Mysore Electro-Chemical Works Ltd., with a view to ascertaining the possibility of running or restarting the said industrial undertaking, a body of persons consisting of:

Chairman

(1) Shri H. B. Lal, Joint Secretary, Department of Defence Supplies, Ministry of Defence, New Delhi.

Members

(2) Shri D. K. Chakravarty, Deputy Financial Adviser, Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance, New Delhi.

(3) Shri K. N. Ramaswamy, Industrial Adviser, Directorate General, Technical Development, New Delhi.

Member-Secretary

(4) Col. G. K. Rao, Deputy General Manager, Bharat Electronics Ltd., Bangalore.

2. The above body shall submit its report to the Central Government within a period of three weeks from the date of publication of this order in the Official Gazette.

[No. F. PEC-25(40)/72.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1972

एस० ग्रो० 182(अ)/15ए/आई०डी०आर०ए०/72.—यत: मैसर्स मैसूर इलैक्ट्रो-कैमिकल वर्क्स लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान, जिसका पंजीकृत कार्यालय यशवन्तपुर, बंगलोर–22 में स्थित है, एक नियत उद्योग नामत: लीड एसिड स्टोरेज बैटरियों के निर्माण कार्य में लगा हुआ है;

और यत: केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह आया है कि मैसूर उच्च न्यायालय द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में उपर्युक्त उद्योगिक संस्थान को परिसमाप्त किया जा रहा है और कम्पनी का कार्य व्यापार नहीं चल रहा है;

और यत: केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि सार्वजनिक हित में और विशेषकर उपर्युक्त उद्योग से सम्बन्धित वस्तुओं अथवा वस्तुओं के हर प्रकार के उत्पादन, पूर्ति और वितरण के हित में उपर्युक्त औद्योगिक संस्थान को चलाने अथवा पुन: प्रारम्भ करने की सम्भावना की जांच की जाए;

और यत: केन्द्रीय सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 15ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत मैसूर उच्च न्यायालय को एक आवेदन दिया था जिसमें उपर्युक्त औद्योगिक संस्थान को चलाने अथवा पुन: प्रारम्भ करने की सम्भावना की जांच किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा कराये जाने की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की गई थी, जिसे कि केन्द्रीय सरकार इस कार्य के लिए नियुक्त कर सके;

और यतः मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 3 मार्च 1972 के आदेश में उक्त धारा 15 ए के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त जांच की अनुज्ञा प्रदान कर दी है;

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 ए में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए और मैसूर उच्च न्यायालय के दिनांक 3 मार्च 1972 के आदेश में दी गई अनुज्ञा का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स मैसूर इलैक्ट्रो-कैमिकल वर्क्स लिमिटेड नामक औद्योगिक संस्थान के काम-काज की पूरी जांच करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक निकाय नियुक्त करती है जो उपर्युक्त औद्योगिक संस्थान को चलाने अथवा उसे पुनः प्रारम्भ करने की सम्भावना पर विचार करेगी :—

(1) श्री एच० बी० लाल, संयुक्त सचिव, रक्षा पूर्ति विभाग, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली। — अध्यक्ष

(2) श्री डी० के० चक्रवर्ती, उप वित्तीय सलाहकार, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली। — सदस्य

(3) श्री के० एस० रामास्वामी, औद्योगिक सलाहकार, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली। — सदस्य

(4) कर्नल जी० के० राव, उप महा प्रबन्धक, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर। — सदस्य सचिव

2. उपर्युक्त निकाय सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

[सं० एफ० पी० ई० सी० 25(40)/72]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972